श्री सुदामा राम
5.9.12

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०–स्था०3/नि०2–480/94 224 पटना, दिनांकः 30.8.12

कार्यालय आदेश

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के का०आ०सं० 91 ज्ञापांक 589 दिनांक 12.03.1991 द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/कनीय सांख्यिकी सहायक/अन्वेषक की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गयी जिसमें वरीयता 1459 में श्री उमा शंकर ठाकुर, बी०एस०सी (गणित), गृह जिला–वैशाली, जन्मतिथि 06.08.1960 अंकित है।

उपर्युक्त औपबंधिक वरीयता सूची को निदेशालय के का०आ०सं०177 ज्ञापांक 1470 दिनांक 26.06.2001 द्वारा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर पूर्ण समीक्षोपरान्त औपबंधिक वरीयता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित किंया गया । जिसमें श्री उमा शंकर ठाकुर का नाम कही भी अंकित नही है।

श्री ठाकुर से प्राप्त आवेदन पर पूर्ण समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री ठाकुर की नियुक्ति निदेशालय के का०आ०सं०653 ज्ञापांक 3095 दिनांक 04.11.1986 द्वारा वेतनमान 850–1360 में प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/कनीय सांख्यिकी सहायक/अन्वेषक के पद पर नियुक्त करते हुए प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, केसरिया प्रखंड, पूर्वी चम्पारण में पदस्थापित किया गया।

निदेशालय द्वारा निर्गत औपबंधिक वरीयता सूची के क्रमांक 1457 पर श्री आनन्दी महतो एवं 1459 पर मो०मुर्शीद आलम के बीच क्रमांक 1458 पर श्री उमाशंकर ठाकुर की वरीयता अंकित है। निदेशालय के का०आ०सं०177 ज्ञापांक 1470 दिनांक 26.06.01 के अंतिम वरीयता सूची के क्रमांक 1400 पर श्री आनन्दी महतो एवं 1401 पर मो०मुर्शीद आलम अंकित है लेकिन श्री ठाकुर का नाम अंतिम वरीयता सूची में अंकित नहीं है जबकि श्री ठाकुर की वरीयता श्री आनन्दी महतो के ठीक नीचे एवं मो०मुर्शीद आलम के ठीक उपर निर्धारित होना चाहिए था।

उपर्युक्त के आलोक में पूर्ण समीक्षोपरान्त श्री उमा शंकर ठाकुर प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक की वरीयता क्रमांक 1400 A पर औपबंधिक रूप से निर्धारित किया जाता है, जो श्री आनन्दी महतो के ठीक नीचे एवं मो० मुर्शीद आलाम के ठीक उपर निम्नवत् रहेगा।

औपबंधिक वरीयता	अंतिम वरीयता	संशोधित वरीयता
1. श्री आनन्दी महतो 1457	श्री आनन्दी महतो 1400	श्री आनन्दी महतो 1400
2.श्री उमा शंकर ठाकुर 1458		श्री उमा शंकर ठाकुर 1400A
3. मो०मुर्शीद आलम 1459	मो०मुर्शीद आलम 1401	मो०मुर्शीद आलम 1401

औपबंधिक रूप से निर्धारित उक्त वरीयता के संबंध में आपत्ति नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से दो माह के अन्दर ही स्वीकार योग्य होगा।

ह०/–
(राजीव चौहान)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)।

50

ज्ञापांक : 1731 पटना,दिनांकः 30.8.12

प्रतिलिपिः— सभी संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसपुरा प्रखंड, औरंगाबाद/सभी कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ उप निदेशक कम्पुटर कोषांग को (बेवसाइट में प्रकाशित कराने हेतु) एवं श्री उमा शंकर ठाकुर, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हसपुरा प्रखंड, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/8/12

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)।

2928